"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जून 2010—ज्येष्ठ 14, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2010

क्रमांक एफ 2-7/2010/1-8.—श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवर सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2010

क्रमांक ई-1-5/2006/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2009 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	जिले का नाम जहां सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किये गये
1.	श्री अवनीश कुमार शरण	बिलासपुर
2.	सुश्री किरण कौशल	दुर्ग
3.	सुश्री प्रियंका शुक्ला	कबीरधाम
4.	श्री सौरभ कुमार	बस्तर
5.	श्री समीर विश्नोई	राजनांदगांव

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से. (1997) विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2010

क्रमांक 544/317/2010/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 10-5-2010 से 17-5-2010 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. भट्टर, अवर सचिव (अधीक्षण).

रायपुर, दिनांक 14 मई 2010

क्रमांक ई 7-1/2003/1/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 18-05-2010 से 02-06-2010 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छिब्बर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2010

क्रमांक ई 7-43/2004/1/2.—श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से., आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को दिनांक 05-06-2010 से 11-06-2010 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 व 13 जून 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है तथा व्यक्तिगत व्यय पर बाली (इंडोनेशिया) प्रवास की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती शर्मा आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2010

क्रमांक ई 7-04/2010/1/2.—श्री हेमन्त कुमार पहारे, भा.प्र.से., उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग को दिनांक 17-05-2010 से 29-05-2010 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 16 एवं 30 मई 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पहारे आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पहारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पहारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2010

क्रमांक ई 7-34/2004/1/2.—डॉ. दुर्गेश मिश्रा, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता एवं गृह विभाग को दिनांक 18-06-2010 से 07-07-2010 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उक्त अवधि में आपको स्वयं के व्यय पर विदेश (कैलाश मानसरोवर, चीन) प्रवास की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. मिश्रा आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता एवं गृह विभाग के पद पर पु

3. अवकाश काल में डॉ. मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2010

क्रमांक ई 7-50/2004/1/2.—श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से., कलेक्टर, जिला-महासमुन्द (छत्तीसगढ़) को दिनांक 10-05-2010 से 14-05-2010 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 08, 09, 15 व 16 मई 10 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बारिक आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला-महासमुन्द के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती बारिक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बारिक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती बारिक के अर्जित अवकाश अवधि में श्री श्याम धावड़े, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द अपने व कार्य के साथ-साथ, कलेक्टर का चालू कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2010

क्रमांक ई-7/02/2007/1/2.—श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 14-06-2010 से 25-06-2010 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13 जून तथा 26 एवं 27 जून 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री त्यागी आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री त्यागी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री त्यागी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2010

क्रमांक 1439/908/2010/1/2.—श्री संजय गर्ग, भा.प्र.से., कलेक्टर, जिला रायपुर को दिनांक 29-03-2010 से 08-04-2010 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28 मार्च, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2010

क्रमांक 536/285/2010/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजुरकर, स्टाफ आफिसर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 29-4-2010 से 14-5-2010 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एन. राजुरकर को अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एन. राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2010

क्रमांक 538/235/2010/1-8/स्था.—श्री याकुब खेस्स, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 10-5-2010 से 26-5-2010 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री याकुब खेस्स को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री याकुब खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2010

क्रमांक 540/259/2010/1-8/स्था.—श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 17-5-2010 से 29-5-2010 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री सैयद कौसर अली के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री सैयद कौसर अली को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सैयद कौसर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2010

क्रमांक 546/308/2010/1-8/स्था.—श्री ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 17-5-2010 से 29-5-2010 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 15, 16 एवं 30-5-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री ए. के. टोप्पो के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. टोप्पो को अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2010

क्रमांक 548/276/2010/1-8/स्था.—श्री अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विमानन विभाग को दिनांक 19-4-2010 से 24-4-2010 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विमानन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2010

क्रमांक 550/358/2010/1-8/स्था.—श्री व्ही. के. राय, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 18-5-2010 से 26-5-2010 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. राय को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2010

क्रमांक 552/359/2010/1-8/स्था.—श्री चन्द्र शेखर ओंकार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को दिनांक 17-5-2010 से 29-5-2010 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्र शेखर ओंकार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्र शेखर ओंकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2010

क्रमांक 554/268/2010/1-8/स्था.—श्री ए. खलखो, वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 1-3-2010 से 30-4-2010 तक 61 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. खलखो को वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. खलखो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2010

क्रमांक 556/366/2010/1-8/स्था.—श्री क्षेत्र सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग को दिनांक 24-5-2010 से 29-5-2010 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री क्षेत्र सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्षेत्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2010

क्रमांक 943/382/2010/1-8/स्था.—श्री जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 24-5-2010 से 29-5-2010 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जेवियर केरकेट्टा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जेवियर केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2010

क्रमांक 945/318/2010/1-8/स्था.—डॉ. संजय कुमार अलंग, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 27-4-2010 से 5-5-2010 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय कुमार अलंग को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. संजय कुमार अलंग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2010

क्रमांक 5134/डी-1274/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गोकुल सिंह क्षत्रीय, अधिवक्ता/नोटरी तहसील हरदीबाजार जिला-कोरबा (छ. ग.) के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम विलोपित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2010

क्रमांक एफ 7-36/10/12.—खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 के प्रावधान अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा जिला रायपुर, जिला जगदलपुर एवं जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा के निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये क्षेत्र संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा खनिज चूनापत्थर के पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण कार्य किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित करता है :—

क्र.	ग्राम	जिला	प्रस्तावित क्षेत्र का अक्षांश एवं देशांश का विवरण टोपाशीट नंबर 64 G/15		
			प्वाइंट	देशांश	अक्षांश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	देवगांव/कुर्रा	रायपुर	A	81°49' 30"	21°24' 24"
			B	81°50' 00"	21°24' 24"
			C	81°50' 00"	21°22' 45"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			D	81°48' 40"	21°22' 45"
			E	81°48' 40"	21°23' 30"
			F	81°49' 15"	21°23' 30"
			G	81°49' 15"	21°24' 00"
			H	81°49' 30"	21°24' 00"
			टोपाशीट नंबर 65 E/16 एवं 65 F/13		
2.	बस्तर	बस्तर	A	81°50' 14.64"	19°00' 11.88"
			B	81°52' 09.48"	19°00' 11.88"
			C	81°52' 09.48"	18°59' 21.48"
			D	81°51' 38.88"	18°59' 21.48"
			E	81°51' 38.88"	18°59' 06.60"
			F	81°52' 09.48"	18°59' 06.60"
			G	81°52' 09.48"	18°58' 39.36"
			H	81°51' 24.84"	18°58' 39.36"
			I	81°51' 03.24"	18°58' 17.04"
			J	81°51' 36.00"	18°56' 23.64"
			K	81°51' 17.28"	18°56' 02.76"
			L	81°48' 28.80"	18°57' 11.16"
			M	81°49' 03.00"	18°58' 58.28"
			N	81°50' 14.64"	18°58' 56.28"
			टोपाशीट नंबर 65 F/10, F/14		
3.	बीरसतपाल	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	A	81°40' 30"	18°30' 00"
			B	81°55' 00"	18°43' 00"

2. खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74 (1) के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रभावशील रहने तक खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जा सकेंगी.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2010

क्रमांक एफ 7-9/2003/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 23 (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009, में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम के नियम 7 (1) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किये जाय :—

नियम 7 (1)　खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची-एक के खण्ड (ब) में दर्शित खनिजों को छोड़कर, गौण खनिज सहित समस्त खनिजों का लीज क्षेत्र से बाहर अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन/क्रशिंग के लिए अस्थायी तौर पर एकत्रिकरण किया जाना हो तो ऐसे अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन/क्रशर संयंत्र की स्थापना हेतु अनुज्ञा संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्ररूप-7 में विनिर्दिष्ट की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2010

क्रमांक एफ 7-9/2003/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7-9/2003/12, दिनांक 11-5-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 11th May 2010

No. F 7-9/2003/12.—In exercise of the powers conferred by section 23C of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 the State Government hereby makes the following amendment in Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said rule, in place of rule 7 (1) following shall be substituted :—

7 (1) Except the minerals listed in part-B of first schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, all other Minerals, including the minor minerals, be collated temporarily, out side the lease area, for storage, benefication, crushing the permission for such storage/beneficiation/crushing plant be granted in Form-7 by the collector of the District concern.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्रमांक 05/अ-82/2009-10 सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1394 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	उडांगी	0.340	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	लीलागर नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 9 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्र. क्र. 3/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कल्गामार	13.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	करूमौहा जलाशय बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./16/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कचना	523/1	0.425	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल संभाग-4, रायपुर.	विभिन्न आय वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु भू-अर्जन.
		प. ह. नं. 40	523/2	1.279		
			523/3	0.425		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			523/4	0.425		
		योग	**04**	**2.554**		

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./17/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	गोढ़ी प. ह. नं. 92	1896	0.050	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	चरौदा-मोहंदी गोढ़ी, सिलयारी मार्ग कि.मी. 07/2-4 पर निर्माणाधीन कोलहान नाला सेतु के के गोढ़ी की ओर पहुंच मार्ग हेतु भूमि का अर्जन
			1897/2	0.059		
			1897/5	0.065		
			1898/1	0.105		
			1898/2	0.040		
			1898/3	0.050		
		योग	06	**0.369**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 मई 2010

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	गोरकापाली प.ह.नं. 2	0.448	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	गोरकापाली मोहदीकला मार्ग पर बोरई सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 मई 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	निमोही प.ह.नं. 01	118.79	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 मई 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बेनीपाली प.ह.नं. 01	20.94	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 मई 2010

क्र./4019/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	तेलीटोला प. ह. नं. 09	0.240	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट नहर निर्माण (अनुपूरक बजट)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 मई 2010

क्र./4019/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मोंगरा प. ह. नं. 21	4.263	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण (अनुपूरक बजट)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 मई 2010

क्र./4019/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	हाथीकन्हार प. ह. नं. 20	0.528	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज के लघु नहर निर्माण (अनुपूरक बजट)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 मई 2010

क्र./4019/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	ब्राम्हणभेड़ी प. ह. नं. 09	0.410	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण (अनुपूरक बजट)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 मई 2010

क्र./4019/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	विलारगोंदी प. ह. नं. 09	0.172	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट नहर निर्माण (अनुपूरक बजट)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 मई 2010

क्र./4019/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	केकतीटोला प. ह. नं. 07	0.492	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट नहर निर्माण (अनुपूरक बजट)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 मई 2010

क्र./4019/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	भड़सेना प. ह. नं. 20	0.870	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण (अनुपूरक बजट)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 मई 2010

क्र./4019/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	सेम्हरबांधा प. ह. नं. 20	0.331	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण (अनुपूरक बजट)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 मई 2010

क्र./4019/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	धानापायली प. ह. नं. 19	0.137	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज के लघु नहर निर्माण (अनुपूरक बजट)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 21 मई 2010

क्रमांक/2829/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	पी. व्ही-47 राधानगर के दायीं तट नहर एवं माइनर निर्माण.	1.58	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	लघु जलाशय पी.व्ही-133.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक 2/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-बंशीताल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 40.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
188	0.12
205/2	0.04
207	0.47
239/2	0.07
240/2	0.25
259	0.24
205/1	0.70
211/2	0.02
551	0.70
214/1 क	0.20
214/2	0.12
217	0.96
508	1.00
241/2	[illegible]
242/2	[illegible]
260/2	0.57
263/2	1.05
480/1	0.25

(1)	(2)
480/3	0.25
511/3	0.06
550/1	0.43
552	0.58
550/2	0.52
566	0.90
202	0.03
203	0.74
204	0.12
206	0.16
190	0.60
216	0.13
238/2	0.15
238/4	0.20
480/10	0.75
480/12	0.53
511/5	0.14
140	0.04
141, 142	0.75
146, 147, 148/2	0.93
555	0.12
553/2	0.02
554	0.44
149/2	0.10
150	0.03
151, 152	0.17
192/2	0.47
230/2	0.50
238/1	0.10
261	0.52
480/2	0.25
218	1.32
193/3	0.25
232	0.09
233	0.32
231	0.34
236/3	0.18
242/1	1.26
262	0.11
264	0.80
512/1	0.49
512/2	0.48
547/4	0.10
548/2	2.00
210	1.71
212	0.16
213	0.06
214/1 ख	0.17
211/2	0.08
224/1	0.16
236/1	0.18
255/4	0.26
257/2	0.02
477/2	0.20
215	0.21
194/1	4.52
235	0.03
236/4	0.16
153/1, 191/2, 192/4	1.00
236/2	0.18
480/10	0.25
241/1	0.28
509	2.19
510	0.70
511/6	0.06
511/6	0.54
548/2	0.32
550/3	0.75
201	0.60
238/2	0.17
योग 70	40.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुम्हारी व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक 4/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-दानीकुण्डी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.51 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	153	0.17
	151	0.23
	154	0.26
	2/2	0.15
	3	0.70
योग	5	1.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुम्हारी व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 मार्च 2010

क्रमांक 14/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-आन्दु
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.81 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	516/2	0.26
	520	0.18
	414/5	0.30
	515/1	0.42
	499/1 क	0.21
	494/3	0.50
	548	0.39
	421/2	0.11
	424/4	0.39
	496/1	0.05
	474/11 ख, 491/1	0.23
	492/2	0.03
	493, 494	0.17
	516/1	0.33
	503/1, 503/2	0.40
	521	0.46
	495/1	0.35
	499/1 ख	0.14
	418/1	0.25
	419/1	0.39
	420/1	0.46
	502	0.46
	547	0.08
	415/2	0.22
	415/3	0.20
	421/1	0.28
	417/4	0.05
	419/3	0.19
	420/3	0.16
	507/1	0.15
योग	25	7.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आन्दुल (जोगीडोंगरी) जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2010

क्रमांक 16/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-धनौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-23.89 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
593	0.85
209/11	4.50
209/9	3.00
209/12	1.00
209/4	5.00
591	0.87
592	0.22
209/10	5.00
594, 598	0.35
227	0.20
679/49	3.00
228/2	0.31
228/1	0.15
590	0.01
योग 13	23.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पकरीकछार जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./3/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-पसला, प. ह. नं. 52

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.69 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
616	0.05
1506	0.05
1644/2	0.30
1167	0.10
1566	0.02
1560	0.10
1574	0.29
1520	0.07
1693	0.40
1683	0.11
663	0.11
677	0.01
678	0.01
69	0.05
672	0.05
611	0.02
642	0.11
658	0.05
1133	0.14
1193	0.38
1643/1	0.08

(1)	(2)	(1)	(2)
641	0.11	610	0.04
1093	0.05	657	0.05
1514/2	0.24	1689/2	0.02
644/9	0.04	644/14	0.06
644/11	0.04	644/16	0.04
1692	0.14	612	0.04
615	0.60	1164	0.02
661	0.06	714	0.12
716	0.17	1090	0.13
608/2	0.04	613	0.09
1192/1	0.22	1132	0.10
1507	0.04	1194	0.04
1682	0.13	1186	0.22
1684	0.85	1184	0.10
1152	0.12	1186	0.06
1106	0.35	1117	0.10
66	0.02	1505	0.08
1569	0.20	1513	0.10
1573	0.04	1671	0.18
1644/1	0.08	655	0.02
645	0.04	671	0.04
659	0.04	682	0.06
1104/2	0.25	717	0.23
644/15	0.06	607	0.04
644/10	0.05	608/1	0.06
1255	0.04	1643/5	0.16
1645	0.03	1294	0.04
1672	0.16	1166	0.24
1521/1	0.05	1515	0.29
1089	0.12	1564	0.10
1105	0.28	1210	0.07
636/2	0.05	615	0.30
1504/2	0.03	1134	0.15
1565	0.04	614	0.10
1508	0.04	1195	0.10
681	0.25	1689/5	0.06
1130	0.23	664	0.02
1510	0.09	679	0.02
1686	0.13	646	0.10
1165	0.11	662	0.09
1503	0.11	665	0.03
1188	0.02	1088	0.07
1185	0.03	1504/1	0.03
1516	0.01	636/3	0.04
1183	0.26	636/1	0.05
159	0.02	1504/3	0.03

	(1)	(2)
	644/12	0.05
	680	0.01
	644/7	0.06
	1643/3	0.66
	1643/6	0.10
	1689/4	0.02
	1091	0.08
योग	120	13.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./4/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डुमरिया, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.74 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1031	0.03
1232	0.01
1018	0.03
81	0.05
1077	0.02
1167/1	0.36
1186	0.03
80	0.06
1030	0.03
1059	0.02
54	0.22
968	0.17
1033	0.11
1073	0.05
92	0.08
1065	0.06
1142	0.01
1189	0.14
1041	0.06
60/1	0.11
1032	0.05
1055	0.03
1068	0.12
966	0.06
78	0.01
88	0.07
1042	0.06
1192	0.16
1224	0.04
1226	0.05
59	0.16
87	0.15
970	0.03
1210	0.02
1227	0.06
1080	0.05
1145	0.34
1166	0.01
1168	0.05
1174	0.03
1175	0.02
1220	0.10
82	0.06
91	0.28
1036	0.04
1062	0.20
1231	0.22
89	0.03
1039	0.21
1234	0.01
1044	0.01
39	0.21
1035	0.05

(1)	(2)
1069	0.02
1074	0.04
1037	0.03
1038	0.04
1066	0.06
1093	0.04
1078	0.26
1221	0.11
1173	0.12
1190	0.10
1170	0.21
1225	0.06
1146	0.39
1172/1	0.02
1160	0.12
1067	0.11
37	0.38
58	0.41
964	0.08
961	0.01
969	0.02
1040	0.04
1043	0.07
1191	0.05
1147	0.02
1228	0.07
79/1	0.01
90	0.05
1034	0.04
1075	0.01
1079	0.06
1169	0.05
योग 85	7.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./5/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पीढ़ा, प. ह. नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2017	0.08
2018	0.11
2025	0.01
2019	0.03
2013	0.03
2012	0.11
2016	0.04
2024	0.04
2011	0.01
2020	0.03
2022	0.04
2023	0.06
1993/1	0.05
2021	0.04
योग 14	0.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./6/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पर्री, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.44 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
114	0.03
125	0.14
123	0.02
126	0.14
981	0.18
88/1	0.07
91	0.07
469	0.04
483	0.07
560	0.20
975	0.01
94/2	0.11
358	0.09
481	0.29
482	0.21
935/1	0.22
116	0.12
117/3	0.23
955	0.50
982	0.08
983	0.08
984	0.04
1310	0.02
479	0.05
562/1	0.03
467	0.58
488	0.39
115	0.09
154	0.10
157	0.20
468	0.07
480	0.16
973	0.17
970	0.07
1312	0.42
92/1	0.11
117/1	0.12
356	0.05
564	0.11
567	0.01
1311/3	0.13
83	0.01
93	0.21
359	0.04
936	0.11
563	0.03
87	0.13
88/2	0.06
90	0.11
111	0.05
124	0.30
151/2	0.05
152/2	0.08
357	0.13
153	0.21
458	0.04
475	0.03
933	0.14
954	0.13
86/2	0.03
1311/2	0.13
562/2	0.09
985/1	0.02
1311/1	0.30
84/2	0.10
89	0.11
485/2	0.29
559/2	0.13
934/1	0.08
561/1	0.12
561/2	0.12
84/1	0.05
155	0.10
158	0.05

(1)	(2)
565	0.05
956/1	0.11
969	0.06
972	0.14
968	0.01
971	0.14
974	0.12
576	0.04
67	0.04
459	0.01
932	0.08
934/2	0.14
94/1	0.03
92/2	0.07
योग 88	10.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./7/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा.
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापारा, पं. ह. नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
723/1	0.08
742	0.44
723/2	0.09
748/2	0.21
309	0.05
730	0.14
721	0.04
740	0.13
744	0.06
725	0.20
729	0.39
737	0.34
739	0.20
738	0.26
743	0.40
667	0.06
योग 16	3.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./8/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुर, प. ह. नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
309	0.04
452	0.14
400	0.34
432	0.10
436	0.30
586	0.11
302	0.03
579	0.03
307	0.16
403	0.01
1031	0.01
296	0.01
304/1	0.10
380	0.12
450/1	0.14
494/1	0.04
451/2	0.17
451/4	0.02
497/3	0.35
497/5	0.06
435	0.01
453	0.44
499	0.14
491	0.20
401	0.29
438	0.23
306/2	0.06
306/3	0.01
308	0.12
381	0.15
431	0.12
583	0.03
449	0.05
501/3	0.05
304/2	0.30
306/2	0.04
451/1	0.15
451/3	0.03
497/2	0.02
497/4	0.12
497/6	0.03
498	0.24
379	0.31
430	0.05
437	0.46
297	0.02
402	0.27
610	0.02
611	0.03
494/3	0.02
429	0.18
301	0.37
306/1	0.22
377	0.28
378	0.19
454	0.08
456	0.08
311	0.09
310/1	0.16
450/2	0.04
494/2	0.02
428/1	0.15
310/2	0.13
375/2	0.04
303	0.02
310/3	0.09
505	0.02
399	0.01
योग 68	8.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./9/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-रामानुजनगर
(ग) नगर/ग्राम-गोपीपुर, प. ह. नं. 64
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
522	0.02
266	0.35
283	0.20
294	0.20
523	0.20
148	0.06
503	0.08
293	0.27
265	0.28
267	0.01
275	0.07
261	0.02
268	0.20
281	0.07
282	0.04
145	0.17
280	0.09
310	0.32
161	0.50
168	0.38
242	0.04
259	0.02
263	0.22
149	0.01
493/2	0.21
295	0.05
312/1	0.30
498	0.02
496	0.02
516	0.04
527	0.03
524	0.09
147	0.12
237	0.02
239	0.05
240	0.16
162	0.03
243	0.14
504	0.04
525	0.16
515	0.28
285/2	0.08
312/2	0.05
528	0.10
153	0.21
502	0.05
260	0.58
264	0.07
507/2	0.12
494	0.06
152	0.08
497	0.12
151	0.01
526	0.14
236	0.25
290	0.15
311	0.06
289/1	0.01
योग 58	7.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./10/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-रामानुजनगर

(ग) नगर/ग्राम-कैलाशपुर, प. ह. नं. 63

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
234	0.05
240	0.30
142	0.01
112	0.17
311	0.07
281	0.01
238	0.09
261	0.07
233	0.09
241	0.29
298/2	0.03
291/1	0.05
117	0.35
132	0.16
154	0.14
159	0.11
263	0.19
307	0.07
230	0.37
249	0.49
114	0.06
325	0.03
292	0.13
297	0.20
120	0.03
156	0.09
158	0.07
165	0.08
197	0.02
262	0.04
155	0.27
200	0.12
298/1	0.28
133	0.14
184	0.13
306	0.04
304	0.02
153	0.08
177	0.09
303	0.04
141	0.03
115	0.01
119	0.05
121	0.03
113	0.08
118	0.07
122	0.02
157	0.17
166	0.03
196	0.44
293	0.04
291/2	0.09
152	0.05
189	0.11
198	0.07
308	0.07
231	0.06
247	0.07
329	0.14
160	0.03
176	0.11
326	0.04
295	0.27
योग 63	7.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010.

रा. प्र. क्र./11/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-सरगुजा
   (ख) तहसील-रामानुजनगर
   (ग) नगर/ग्राम-बिशुनपुर, प. ह. नं. 58
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39	0.27
57	0.10
59/1	0.01
217	0.06
113	0.13
228	0.20
116	0.06
120	0.11
117/1	0.15
117/2	0.05
118	0.13
235	0.09
29	0.21
38/1	0.07
40	0.18
41	0.21
55	0.03
56	0.07
114	0.04
115	0.05
121	0.03
229	0.03
231	0.03
232	0.04
233	0.01
413	0.09
414	0.08
420	0.04
422	0.06
424	0.01
425	0.12
431	0.04
432	0.02
42	0.17
43	0.17
44/1	0.04
44/2	0.15
218	0.01
221	0.02
409	0.30
779	0.09
223	0.06
224	0.06
225	0.05
423	0.21
726	0.01
727	0.08
728	0.06
729	0.13
730	0.08
731	0.09
734	0.09
735	0.08
794	0.21
783	0.14
739	0.36
740/1	0.05
795/1	0.12
781	0.18
782	0.09
796	0.30
797	0.12
799/3	0.03
738	0.37
752/2	0.03
226	0.04
227	0.02
230	0.03
234	0.05
410	0.30
778	0.06
780	0.02
411	0.04
415	0.04
416	0.05
417	0.02
439	0.01
421	0.06
437	0.09
440	0.09

	(1)	(2)
	717	0.03
योग	81	7.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्रं./12/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम-नारायणपुर, प. ह. नं. 63
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.54 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	214	0.29
	21/1	0.06
	4/1	0.02
	4/4	0.09
	31/2	0.04
	4/2	0.06
	6/1	0.21
	282	0.04
	261/1700	0.08
	5/1	0.16
	22	0.12
	23	0.30
	227/1	0.07
	267	0.20
	276	0.29
	278	0.04
	277	0.62
	21/2	0.10
	17/2	0.10
	225/1	0.13
	255/1	0.08
	275/1	0.15
	224/7	0.16
	255/3	0.59
	275/2	0.05
	266	0.08
	224/6	0.15
	225/2	0.02
	255/4	0.03
	19	0.04
	18	0.17
	254	0.04
	25	0.07
	17/1	0.07
	225/3	0.21
	255/2	0.11
	224/4	0.04
	226	0.33
	7/1	0.02
	13	0.02
	24	0.37
	213	0.10
	20	0.19
	283	0.03
	215/2	0.03
	215/1	0.11
	5/2	0.14
	6/2	0.12
योग	48	6.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./13/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चन्द्ररपुर (ढुढंरा), प. ह. नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.495 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95	0.090
128/2	0.040
129	0.260
539	0.390
1151	0.152
81	0.030
120	0.121
121	0.250
122	0.150
791/2	0.020
827/2	0.010
781/1	0.020
781/3	0.040
790/1	0.087
546/3	0.010
550/4	0.030
781/2	0.113
787/3	0.073
790/2	0.010
540	0.030
780/7	0.130
1150	0.152
118/2	0.247
70	0.130
541	0.120
544	0.150
769	0.041
771	0.174
1072	0.050
1091	0.320
768	0.050
828/8	0.057
124/1	0.206
828/6	0.010
117	0.045
118/3	0.054
82	0.210
791/3	0.058
524/3	0.071
524/7	0.083
88/2	0.030
1149/1	0.020
524/10	0.071
1088/2	0.010
1100/2	0.040
130/2	0.020
84	0.210
127	0.182
780/6	0.060
780/9	0.102
785/1	0.010
1107	0.239
826/3	0.030
524/11	0.010
1177/19	0.101
1177/18	0.202
1177/19	0.031
1177/20	0.021
123	0.200
125	0.190
538/2	0.020
524/5/3	0.075
786/2	0.012
786/1	0.004
788/2	0.080
119	0.206
829	0.016
830	0.020
832	0.120
76/3	0.050
116	0.830
1177/7	0.052

(1)	(2)
1777/8	0.081
130/1	0.020
1088/4	0.010
1090	0.081
828/5	0.060
552/3	0.010
524/1	0.130
83	0.206
118/1	0.130
88/1	0.020
547	0.050
524/5/1	0.030
772	0.020
808	0.020
810	0.010
524/5/4	0.072
525/5/5	0.030
76/1	0.260
124/2	0.050
1088/3	0.010
546/2	0.060
1108	0.146
106	0.101
1104/2	0.072
76/2	0.190
1100/4	0.050
1089/2	0.071
524/4	0.220
1177/17	0.101
65	0.070
811	0.150
1149/2	0.071
546/1	0.010
1089/1	0.010
1100/1	0.030
546/5	0.040
550/2	0.049
99/2	0.070
115/2	0.120
128/1	0.150
86	0.212
87	0.180
94	0.020
67	0.1[illegible]
821	0.085
822	0.050
68/1	0.080
809	0.010
1101	0.250
1103	0.180
1109	0.010
550/1	0.130
550/3	0.049
546/4	0.162
751/4	0.049
1177/14	0.072
1177/2	0.202
524/5/2	0.020
833	0.060
524/12	0.010
524/13	0.010
1177/1	0.171
1145/1	0.223
1146	0.061
1147	0.065
1148	0.252
1177/5	0.173
योग 139	13.495

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./14/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-रामानुजनगर

(ग) नगर/ग्राम-भुनेश्वरपुर, प. ह. नं. 82

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79	0.25
151	0.22
80	0.21
82	0.17
83	0.12
86	0.01
84	0.09
85	0.11
156	0.01
87	0.10
88	0.48
180/3	0.06
347/2	0.04
145/2	0.04
150	0.15
152	0.07
153	0.09
158	0.01
157	0.03
163	0.15
171	0.01
172	0.21
336/6	0.01
173/2	0.04
173/1	0.04
173/3	0.04
173/4	0.04
176	0.01
177	0.53
179	0.02
178	0.21
180/1	0.06
347/1	0.03
180/2	0.06
329/2	0.08
329/1	0.01
336/7	0.03
342/2	0.04
343	0.10
344	0.03
345	0.14
346	0.08
440	0.27
348/1	0.08
654/2	0.14
348/2	0.08
654/1	0.14
349	0.12
566	0.12
568	0.02
350	0.07
352	0.01
659	0.03
351	0.21
358	0.17
594	0.04
488	0.29
441	0.10
442	0.10
452	0.10
606	0.04
451	0.31
453	0.13
454	0.01
456	0.02
460/2	0.10
461/2	0.19
487	0.04
596	0.05
489	0.28
562	0.01
563	0.06
564	0.18
565	0.15
567	0.16
590	0.18
591	0.05
592	0.01
595/1	0.06
595/2	0.06
595/3	0.02
605/1	0.04
605/4	0.04

(1)	(2)
605/2	0.04
605/5	0.04
605/3	0.04
605/6	0.03
655	0.17
656	0.01
163/1855	0.10
163/1856	0.22
182/2	0.13
योग 92	9.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./15/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मदनेश्वरपुर, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-24.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1575	0.29
1512	0.14
1536/1	0.02
1538/1	0.14
1562/1	0.03
1669	0.04
1934/4	0.06
1558	0.17
1560/1	0.06
1560/2	0.07
1561	0.02
1953	0.55
1903	0.49
1932	0.48
510	0.10
2150	0.07
1680	0.17
1676	0.01
1677	0.10
1678	0.02
347	0.30
1882/2	0.03
2086	0.35
2105/2	0.04
827	0.18
2074	0.08
2077	0.07
2134	0.18
1933	0.15
2133	0.03
1934/8	0.07
502	0.09
511	0.20
266	0.05
268	0.14
1934/6	0.24
353/1	0.06
814	0.32
2059	0.07
1000	0.24
1001	0.05
1002	0.05
1682	0.42
1497	0.03
1692/2	0.24
961	0.09
1509	0.15
1580	0.03
1514	0.28

(1)	(2)	(1)	(2)
1539	0.38	1581	0.04
1696	0.21	1582	0.11
1559	0.47	1583	0.06
1958	0.01	354	0.29
2105/1	0.24	490	0.12
2060	0.15	1885	0.10
2061	0.07	1886	0.13
2063/3	0.02	408	0.01
2135	0.02	409	0.02
356	0.13	1960/4	0.10
786/1	0.08	355	0.58
791	0.07	521/2	0.02
1882/1	0.02	1692/1	0.24
962	0.14	2148	0.05
1511	0.02	477/1	0.08
1607/1	0.26	477/4	0.02
417/2	0.19	2079	0.47
419	0.05	2071/2	0.08
420	0.04	2073/1	0.01
1500	0.17	2081	0.03
824	0.08	2063/2	0.18
1508	0.11	358/2	0.03
2062	0.09	416	0.03
2063/1	0.07	417/1	0.08
2080	0.04	477/7	0.02
2070	0.05	2069/1	0.06
319	0.09	836	0.02
359	0.05	826	0.11
504	0.07	996	0.01
505	0.05	357/1	0.05
509	0.08	839/3	0.04
269/3	0.04	815	0.34
315/1	0.01	1887	0.03
318/1	0.13	1888	0.06
415/1	0.20	2085	0.14
822/1	0.05	2076	0.05
994	0.10	2071/3	0.03
998	0.23	786/2	0.01
1499	0.02	1498	0.12
520	0.31	323/2	0.02
320	0.08	1578	0.05
329	0.01	1584/2	0.02
481	0.18	2071/1	0.08
485	0.12	572/1	0.01
981	0.09	1959	0.11
1579	0.03	1961	0.02
		1962	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
410	0.17	489/3	0.06
479/1	0.01	1557	0.06
512/2	0.02	486	0.24
269/1	0.01	1513	0.14
315/2	0.02	322/2	0.06
318/2	0.07	2064	0.03
318/5	0.06	2065	0.04
415/2	0.15	982	0.14
1573	0.03	1890	0.02
1577	0.19	2149	0.13
1905	0.04	1934/5	0.12
1906	0.05	315/4	0.01
487	0.11	318/3	0.08
1896	0.13	411/2	0.02
1908	0.09	480/2	0.04
1556	0.08	1538/2	0.14
321/2	0.05	317/3	0.11
1695	0.45	837	0.01
346	0.16	479/3	0.01
1541	0.06	521/1	0.03
1960/1	0.02	968	0.23
1889	0.17	357/2	0.15
1909	0.09	785	0.01
1910	0.03	792	0.02
1914	0.03	793/1	0.51
2067	0.14	825	0.09
1897	0.09	829	0.02
322/1	0.12	1901/2	0.04
322/4	0.10	1576	0.07
2068	0.08	317/2	0.11
2069/2	0.06	418/1	0.11
1672	0.15	477/2	0.02
514/1	0.03	477/6	0.02
270/1	0.01	512/1	0.08
317/4	0.11	2069/3	0.06
322/3	0.06	2069/4	0.06
980	0.05	1884	0.16
1898/2	0.04	310	0.01
1882/3	0.08	482	0.13
316	0.12	483	0.05
793/2	0.25	484	0.03
1960/7	0.07	1901/1	0.10
1960/2	0.05	314	0.07
793/3	0.04	344	0.01
348	0.01	2072	0.08
		321/1	0.05

(1)	(2)
321/3	0.04
योग 234	24.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 मई 2010

रा. प्र. क्र./16/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम-कौशलपुर, प. ह. नं. 69
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
673	0.12
852	0.20
801/1	0.15
770	0.07
1051/1	0.53
1054	0.06
1049	0.03
1052/1	0.09
878	0.07
696/4	0.45
906	0.01
866	0.27
877	0.35
879	0.03
711/4	0.35
711/6	0.23
865/2	0.08
711/8	0.31
860/2	0.72
863/13	0.40
696/3	0.22
851	0.43
867	0.08
666	0.01
675	0.09
876/3	0.11
696/1	0.11
859	0.26
696/2	0.27
876/2	0.07
658	0.07
659	0.15
710/1	0.29
801/2	0.34
802	0.11
800	0.21
711/1	0.12
865/1	0.12
771/5	0.40
711/7	0.31
907/2	0.23
1055	0.05
663	0.12
667	0.35
907/1	0.22
669/1	0.03
860/1	0.22
861	0.29
850/2	0.06
863/5	0.02
797	0.01
योग 51	9.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्रमांक 4190/अभूअ/परि/2010.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 12931/अधीक्षक/2009 कोरबा, दिनांक 8-12-2009 द्वारा कोरबा जिले में डायव्हर्सन एवं अन्य राजस्व वसूली में कमी एवं प्रकरण लंबित रहने के कारण छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 30 के अंतर्गत धारा 22 के तहत अनुविभाग कटघोरा एवं अनुविभाग कोरबा के डायव्हर्सन प्रकरणों के निराकरण हेतु श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर को भारसाधक अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (डायव्हर्सन) कोरबा/कटघोरा नियुक्ति किया गया था.

उक्त आदेश को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिक्रमित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा/कटघोरा को पूर्ववत् डायव्हर्सन प्रकरणों का निराकरण करने हेतु आदेशित किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर.